राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2957/2015

गोविन्द सहाय शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. श्री पाल सिंह, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., सारगोठ, श्री माधोपुर, जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1- अपीलार्थी ने इस अपील में निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

(i) By appropriate orders, directions, instructions impugned order dated 21.07.2015 (Annexure-7) be quashed and set aside.

(ii) By appropriate orders, directions instructions respondents be directed to consider and promote the appellant on the post of Principal, Govt. Sr. Secondary School or equivalent post against the vacanvies of the year 2015-16 w.e.f. the date his juniors were ordered to be promoted with consequential benefits including financial benefits.

(iii) By appropriate orders, directoins instructions respondents be directed to allow interest @ 18% per annum on the arrears.

(iv) Any other relief which the Hon'ble Tribunal thinks just and proper in the circumstances of the case be also allowed to humble appellant.

(v) Cost of the appeal be also allowed to humble appellant.

2. इस प्रकार अपीलार्थी ने वर्ष 2015–16 के रिक्ति वर्ष से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति की मांग की है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपने जवाब में यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी को प्राधानाध्यापक से प्राधानाचार्य की पदौन्नति हेतु 5 वर्ष का प्रधानाध्यापक के पद का अनुभव वांछित है तथा स्नातकोतर होना आवश्यक है। वर्ष 2010–11 की पदौन्नति हेतु पात्रता वर्ष 2015–16 होती है तथा प्रार्थी की पीजी भी वरिष्ठता में दर्ज नहीं है। अपीलार्थी के 2015 में सेवानिवृत हो जोने के उपरान्त दिनांक 02.11.2015 को वरिष्ठता में पीजी का अंकन किया गया। इस कारण वर्ष 2015–16 की रिव्यू डीपीसी में सेवानिवृत उपरान्त प्रधानाचार्य पद पर नियमानुसार पदौन्नति कर दी गई।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष जो वर्ष 2015–16 की पदोन्नति दिये जाने का था, वह प्रदान हो चुका है परन्तु अपीलार्थी को पारिणामिक लाभ भी दिलाये जाए।

6. चूंकि प्रत्यर्थी विभाग ने यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2015–16 के रिव्यू सेवानिवृति के उपरान्त अपीलार्थी को नियमानुसार प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दी गयी थी। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि उक्त पदोन्नति के उपरान्त अपीलार्थी को पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाए एवं अपीलार्थी को पदोन्नत पद से पेंशन एवं ग्रेचुटी का लाभ प्रदान किया जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)